न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डार,(स0मा0)

पीठासीन अधिकारीः— सीमा खेतान (आर0ए0एस0)

मु0नं0	किस्म	तारीख रज्जू
16 / 2025	136 एलआर एक्ट	[redacted].03.2025

किरोड़ी पुत्र नागाराम जाति नाई निवासी बहरावण्डा खुर्द तहसील खण्डार।

प्रार्थी

बनाम

सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार खण्डार।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः— श्री अंजनी कुमार तेहरिया प्रार्थी की ओर से

निर्णय

- प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र में अवगत कराया गया है कि प्रार्थी के पिता नागा नाई की खातेदारी भूमि कब्जे काश्त की आराजीयात 341 रकबा 10 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 342 रकबा 1 बीघा 05 कुल किता 02 कुल रकबा 11 बीघा 11 बिस्वा वाके ग्राम फरिया में प्रार्थी के हिस्सा 7 / 18 स्थित है। प्रार्थी के पिता की मृत्यु उपरान्त विरासत का नामान्तकरण खोला गया। उक्त नामान्तकरण मे मृतक नागा के तीन पुत्र मोहन, किरोड़ी, मुकेश तथा पुत्री राजबाई, लीलाबाई तथा नागा की बेवा द्वारिका के नाम भरकर खोला गया। उक्त नामान्तकरण में किरोड़ी की जगह किरोड़ीलाल हो गया तथा वहीं नाम जमाबन्दी में अंकन हो गया। राजस्व रिकॉर्ड में शुद्धिकरण हेतु तहसीलदार खण्डार द्वारा किरोड़ीलाल के स्थान पर किरोड़ी नाम शुद्ध करने की अभिशंषा की गई है। प्रार्थी के अन्य दस्तावेजो में किरोडी नाम अंकित है। सरपंच ग्राम पंचायत खण्डेवला द्वारा जारी प्रमाण पत्र में किरोड़ीलाल व किरोड़ी एक ही व्यक्ति अंकित किया गया है। अतः प्रार्थी के हिस्से की भूमि आराजी खसरा नम्बर 341 रकबा 10.06 बीघा व खसरा नम्बर 342 रकबा 1.05 बीघा कुल किता रकबा 11 बीघा 11 बिस्वा में प्रार्थी का नाम किरोड़ीलाल के स्थान पर किरोड़ी दुरूस्त किया जावें।
- प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार खण्डार से रिपोर्ट चाही गई । तहसीलदार खण्डार की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी का ग्राम फरिया में खाता संख्या 212 जमाबन्दी सम्बत 2080—83 में किरोड़ीलाल पुत्र [illegible] हिस्सा 7 / 18 जाति नाई दर्ज है। प्रार्थी के पिता नागा पुत्र गंगाधर की विरासत [illegible] संख्या 1409 दिनांकक 20.12. 2011 में प्रार्थी का नाम किरोड़ीलाल [illegible] दस्तावेजो में किरोड़ी नाम दर्ज है। प्रार्थी किरोड़ीलाल एवं किरोड़ी एक ही व्यक्ति है। राजस्व रिकॉर्ड में किरोड़ीलाल के बजाय किरोड़ी किये जाने की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।
- वकील प्रार्थी के द्वारा दौरान बहस प्रार्थना पत्र के तथ्यों का दोहरान करते हुए बताया कि प्रार्थी का वसीयत नामान्तरण 1409 दिनांक 20.12.2011 किरोड़ी के स्थान पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2025.09.08 13:58:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (सवाई माधोपुर)

किरोड़ीलाल अंकन हो गया है। जबकि ग्राम पंचायत खण्डेवला के द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र एवं तहसीलदार खण्डार के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार किरोड़ीलाल एव किरोड़ी एक ही व्यक्ति होना अंकित किया गया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी के हिस्से में ग्राम फरिया में खाता संख्या 212 जमाबन्दी सम्बत 2080–83 में किरोड़ीलाल के स्थान पर किरोड़ी नाम दुरूस्त किया जाने की कृपा करें।

- पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया एवं तहसीलदार खण्डार से प्राप्त रिपोर्ट का मनन किया गया । प्रार्थी का वसीयत नामान्तरण 1409 दिनांक 20.12.2011 किरोड़ी के स्थान पर किरोड़ीलाल अंकन हो गया। जबकि किरोड़ीलाल व किरोड़ी एक ही व्यक्ति है। प्रार्थी के हिस्से की भूमि आराजी खसरा नम्बर 341 रकबा 10.06 बीघा व खसरा नम्बर 342 रकबा 1.05 बीघा कुल किता रकबा 11 बीघा 11 बिस्वा में प्रार्थी का नाम किरोड़ीलाल के स्थान पर किरोड़ी दुरूस्त किया जाना न्यायोचित होगा।

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। ग्राम फरिया में स्थित प्रार्थी के हिस्से की भूमि खसरा नम्बर 341 रकबा 10.06 बीघा व खसरा नम्बर 342 रकबा 1.05 बीघा कुल किता रकबा 11 बीघा 11 बिस्वा में प्रार्थी का नाम किरोड़ीलाल के स्थान पर किरोड़ी शुद्ध किया जाता है। पत्रावली फैसलाशुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तक्मील दफ्तर दाखिल हों।

यह निर्णय आज दिनांक 25.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सीमा खेतान)
उपखण्ड अधिकारी
खण्डार, (स0मा0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2025.09.08 13:58:42 IST
Reason: SelfAttested